—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.आध. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री हरजिन्द्र रमाणा —— प्रार्थीगण
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा —— अप्रार्थी संख्या 2

—:: निर्णय ::—

दिनांकः—29/4/26

अधिवक्ता प्रार्थीया श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि—

यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं.1 एक ही हिन्दू सयुक्त परिवार के सदस्य है। इस सयुक्त परिवार के मुखिया पूर्व में प्रार्थीगण के दादा बाबू सिंह थे जिनका कालान्तर में स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं.1 हिन्दू विधि के मिताक्षरा स्कुल ऑफ लॉ से शास्ति होते है जो परस्पर सहदायिकी व सहअशंदायी है। जहां तक प्रार्थना पत्र हाजा का सम्बंध है सजरा यह कि अप्रार्थी स.1 के नाम मु. खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 5 बीआरपी के खाता सं. 83/34 के प.नं. 17/355 (10) किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 212, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 25 की कुल 6.325 हैक. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में 5/7 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है जो अप्रार्थी सं.1 को अपने पिता बाबू सिंह पुत्र मित सिंह के देहान्त होने के बाद विरास्तन प्राप्त हुई है व उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 को अपनी माता व तीन बहनो से जरिये दस्तबरदारी प्राप्त हुई है। अप्रार्थी सं.1 के नाम वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। अप्रार्थी सं.1 के नाम वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/4 — 1/4 1/4 कुल 3/4 हिस्सा हिस्सा बनता है। प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है परन्तु प्रार्थीगण को प्राप्त होने वाला हक व हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है इसलिये प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 जो कि शराबी कवाबी किस्म का व्यक्ति है जो अपने नाम दर्ज पैतृक कृषि भूमि को औने पौने दामों में किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने की फिराक में है व प्रार्थीगण के अधिकारो के विपरीत कोई दस्तावेज पंजीयन करवाने की फिराक में है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि से महरूम हो जायेगे व प्रार्थीगण को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना नितान्त मुशकिल होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का प्रार्थीगण के अधिकारो के विपरीत कोई दस्तोवज पंजीयन न करवाये व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्व अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थी सं.1 अपने नाम वर्णित कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 5 बीआरपी के खाता सं. 83/34 के प.नं. 17/355 (10) किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 25 की कुल 6.325 हैक. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम दर्ज 517 हिस्सा कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का प्रार्थीगण के अधिकारो के विपरीत कोई दस्तोवज पंजीयन न करवाये व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। बाद तामिल नोटिस अप्रार्थी संख्या 1 बाद सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त वाद भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होना जाहिर किया। वाद भूमि को खुर्द – बुर्द करने पर अमादा है। यदि अप्रार्थी सं0 1 ऐसा करने पर कामयाब होता है तो प्रार्थी को नापूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जावें कि वे विवादित भूमि के रिकोर्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखे।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावजों का अवलोकन किया गया। भूमि मे अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादे'ा चाहा है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति होना प्रतित होता है। प्रार्थी ने वाद भूमि में अपने हकों की घोषिणा हेतु न्यायालय हाजा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वाद प्रस्तुत किया है जो न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। प्रार्थीगण के हक हिस्सों का निर्धारण उक्त वाद में साक्ष्य सबूतों के लेखबद्व होने के उपरातं ही होना है। यदि उक्त वाद भूमि को किसी भी प्रकार से अप्रार्थीगण खुर्द–बुर्द किया जाता है तो प्रार्थीगण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः वाद भूमि पैतृक संपति जाहिर होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने के कारण सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष मे होने पर वाद में प्रार्थी के हक–हिस्सों के तय होने तक वाद भूमि के रिकोर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखना न्यायालय के अभिमत में न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचानुसार व प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आरटी, स्वीकार योग्य हाने के कारण स्वीकार किया जाता है दिनांक 28.03.2025 को जारी अस्थाई निषेघाज्ञा ता दावा निस्तारण तक निरन्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनाकं 29/4/26 ——को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला होकर दाखिल दफतर हो।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा